उत्तर प्रदेश राज्य

कृषि वानिकी नीति

2012

वन विभाग,उत्तर प्रदेश

लखनऊ

1– प्रस्तावना

वन मानव सभ्यता एवं अनेक प्रकार के जीव–जन्तुओं के उद्‌भव, विकास एवं पतन के मूक साक्षी हैं। वे किसी भी राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हैं और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देते है। हमारे देश में वे आध्यात्मिक चेतना के स्रोत रहें हैं वनों से प्राप्त होने वाले प्रकाष्ठ एवं अन्य पदार्थो पर मानव समाज इतना निर्भर है कि प्रति व्यक्ति प्रकाष्ठ का उपयोग समाज की सम्पन्नता का मापदण्ड माना जाता है।

वन ऊर्जा के महत्वपूर्ण नवकरणीय स्रोत हैं। यद्यपि जल, ताप विद्युत, गैस, तेल आदि से भी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, पर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जलौनी काष्ठ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। वन उत्पाद मनुष्य के जन्म से मृत्यु पालने से दाह संस्कार तक प्रयोग में लाये जाते हैं।

वनों द्वारा प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के अनेक कार्य स्वाभाविक रूप से होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या में निरन्तर एवं अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहे अनियंत्रित दबाव के कारण वन क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं। प्राकृतिक साधनों एवं वनों पर अनियंत्रित दबाव के कारण भूमण्डलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन के रूप में उत्पन्न भीषण प्राकृतिक आपदायें जैसे अतिवृष्टि, दुमिक्ष, बाढ़ से होने वाली विनाश लीला राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चिन्ता का कारण बनी हुई हैं। हाल के वर्षो में ग्रीन हाऊस गैसों विशेषकर कार्बन डाईआक्साईड के उत्पादन एवं उत्सर्जन में बेतहाशा वृद्धि हुई हे। विकासशील राष्ट्रों में भी औद्योगीकरण, वनों के विनाश एवं अत्यधिक जीवाश्म ईधन के दहन इत्यादि कारणों से लगभग 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से इन गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है।

परिणामस्वरूप जल संसाधन व भूगर्भीय जल स्तर में सतत् गिरावट, भूक्षरण, भू–उर्वरा शक्ति का ह्रास आदि से उत्पन्न भयावह स्थिति से मनुष्य का आये दिन सामना होता रहता है। वायु प्रदूष्ण, जल एवं ध्वनि प्रदूष्वण ने नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न कर दी हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार देश के वायुमण्डल का तापमान 2030 तक 1.7 से 2.00 सेन्टीग्रेड और वर्षा में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो जन धन के व्यापक विनाश का कारण बनेगा। इस

मानव जनित समस्या का निदान अधिकाधिक वृक्षारोपण कर वृक्षावरण/वनावरण को अपेक्षित घनत्व व क्षेत्र के मानक स्तर तक लाकर ही किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त क्योटो प्रोटोकाल 1997 के अनुसार ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन स्तर 5.2 प्रतिशत कम किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। पेड़ पौधे कार्बन डाईआक्साईड को शोषित कर प्राण वायु आक्सीजन का निर्माण करते हैं। अनुसंधान के निष्कर्ष के अनुसार विभिन्न आयु के जातियों वाले प्रति हेक्टेयर वनों की कार्बन डाईआक्साईड अवशोषित करने की क्षमता 2 टन से 5 टन तक होती है। कार्बन क्रेडिट परियोजना 1 जनवरी 2000 तथा स्वच्छ विकास परियोजना 16.02.2005 से प्रभावित है।

संविधान के भाग–4 में राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत समाहित हैः– अनुच्छेद 48क ''राज्य, देश के पर्यावरण संरक्ष्वणण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा''।

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल भू–भाग का 7.6 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश की आबादी कुल आबादी का 16.17 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में वनावरण/वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 9.01 प्रतिशत है एवं प्रति व्यक्ति वनावरण/वृक्षावरण 0.01 हे0 तक सीमित है, जोकि राष्ट्रीय औसत 21.02 प्रतिशत एवं 0.07 हे0 प्रति व्यक्ति से काफी कम है।

निरन्तर विभागीय प्रयासों के पश्चात् भी विगत कई वर्षो में वनावरण/वृक्षावरण में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 एवं राज्य वन नीति 1998 के अनुरूप प्रदेश की कुल भूमि के तिहाई भाग को वन एवं वृक्षावरण के अन्तर्गत आच्छादित करना विभाग का लक्ष्य है। किन्तु अपेक्षित लक्ष्य से हम अभी भी काफी पीछे हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि विद्यमान वन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य में अपेक्षित गतिशीलता नहीं प्रदान की जा सकी है। वन क्षेत्र से बाहर सड़क, नहर एवं रेल की पटरियों पर वृक्षारोपण विभाग द्वारा किये जा रहे हैं, परन्तु वन क्षेत्र से बाहर भूमि का अधिकांश भाग कृषकों के स्वामित्व में होने के फलस्वरूप उसे वृक्षारोपण कार्य के अन्तर्गत लाने के लिये प्रयास किया जाना समय की महती आवश्यकता है, क्योंकि वृक्षारोपण हेतु नई भूमि का अधिग्रहण आबादी की खाद्यान्न समस्या को ध्यान में किया जाना बहुत कठिन है।

कृषि वानिकी के माध्यम से कार्बन क्रेडिट एवं स्वच्छ विकास परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रख कर कृषि वानिकी की व्यापक विधि बनाई गई है।

2– मूल उद्देश्य

1– कृषकों की भूमि पर कृषि के साथ वानिकी अपनाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना।

2– वन क्षेत्रों से बाहर राज्य वन नीति के अनुसार सकल वृक्षाच्छादन का विस्तार।

3– प्राण वायु आक्सीजन के उत्पादन में वृद्धि की निरन्तरता को सुनिश्चित करना एवं विषैली गैसों के दृष्प्रभाव को यथा सम्भव कम करना।

4– ईधन, चारा, लघु प्रकाष्ठ एवं इमारती लकड़ी की ग्रामों में उपलब्धता बढ़ाकर वनों पर जैविक दबाव को कम करना।

5– ग्रामीण निर्बल वर्ग एवं जनजाति के लोगों की ईधन हेतु जलौनी, चारा लघु वन उपज एवं इमारती लकड़ी की घरेलू मांग की पूर्ति हेतु आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच अंतर में कमी लाने का प्रयास करना।

6– राष्ट्रीय एवं राज्य वन नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करना।

7– कृषि वानिकी के द्वारा कृषकों के आय और जीवन स्तर में वृद्धि करना।

8– प्रदेश के कार्बन क्रेडिट में वृद्धि करना।

9– मृदा संरक्षण एवं भूगर्भीय जल के स्तर में वृद्धि करना।

10– जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना।

11– मृतोपजीवी (डिट्रिट्स) कार्बनिक खाद्य श्रृंखला को सक्रिय व सुदृढ़ कर कृषि भूमि की उर्वरता में वृद्धि करना।

12– जैव विविधता को बढ़ावा देना।

13– ग्रामों में स्वच्छ वातावरण विकसित करना।

3– कृषि वानिकी

कृषि वानिकी भूमि उपयोग की ऐसी पद्धति है जिसके अन्तर्गत ''एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजातियों को विधिपूर्वक दोनों प्रकार की उपज लेकर आय बढ़ाना है'' । कृषि वानिकी के अन्तर्गत काष्ठीय बहुवर्षीय प्रजातियां एक ही भूमि पर कृषि फसलों के साथ उगाई जाती है। यह पद्धति आर्थिक रूप से लाभप्रद, सामाजिक रूप से स्वीकार्य तथा समस्त भूमि सुधारक प्रक्रियाओं का समेकित नाम है।

4– कृषि वानिकी के विभिन्न प्रकार

कृषि वानिकी पद्धति के अन्तर्गत प्रकृति जलवायु मृदा की स्थिति एवं कृषक की आवश्यकतानुसार निम्न कृषि स्वरूप को अपनाया जा सकता है :–

- कृषि वन पद्धति – पापुलर + गेहूं/गन्ना/मक्का
- वन चारागाह पद्धति – वृक्ष + धान का ह्रास
- कृषि वन चारागाह पद्धति – फसल + वृक्ष + पशुपालन
- कृषि वानिकी उद्यानिकी पद्धति – फसल + फल वृक्ष
- कृषि वन उद्यानिकी पद्धति – फसल + वृक्ष + फल वृक्ष
- उद्यानिकी चारागाह पद्धति – फल वृक्ष + चारा

उत्तर प्रदेश में मुख्यतः तीन कृषि जलवायु **(Agro climatic)** क्षेत्र हैं :–

1– पूर्वी तराई।

2– मैदानी गांगेय क्षेत्र एवं

3– विन्ध्य क्षेत्र

कृषि वन पद्धति में वृक्ष एवं फसलों के संयोजन **(Combination)** कर चयन कृषि जलवायु क्षेत्र एवं कृषक की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।

5– कृषि वानिकी में अनुभव की जा रही कठिनाईयां

कृषि वानिकी को प्रदेश में व्यवस्थित रूप से अपनाये जाने में अनेकों कठिनाईयां प्रकाश में आईं हैं। इनमें से निम्न कठिनाईंयाँ प्रमुख रूप से विचारणीय हैं, जिनके निराकरण का प्रयास कृषि वानिकी नीति में किया गया है –

5.1–वृक्षारोपण में समस्यायें –

- कृषकों को आकर्षक आर्थिक पैकेज का उपलब्ध न होना।
- कृषकों के पास धन की कमी होना।
- पौधों की उपलब्धता में कठिनाई ।
- वृक्षारोपण सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा मित्र वृक्षों के चयन में कठिनाई।

5.2–वृक्षों के विदोहन एवं विपणन की समस्या–

- पातन एवं अभिवहन नियमों की जटिलता ।
- विपणन हेतु बाजार का अभाव।
- ठेकेदार एवं बिचौलियों द्वारा शोषण।
- कृषकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव ।
- कृषि प्रदर्शन केन्द्रों का अभाव।

6– रणनीति

प्रदेश में कृषि वानिकी को प्रभावी बनाने हेतु निम्न नीति निर्धारित की जाती है :–

6.1 उत्तर प्रदेश में कम जोत के आकार के कृषकों की संख्या अधिक है जिन्हें कृषि वानिकी के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। अतः सर्वप्रथम गाँव के चौपाल, कार्यशालाओं व अन्य प्रचार माध्यमों से उक्त कृषकों तक कृषि वानिकी की जानकारी पहुंचाना आवश्यक है।

6.2 कृषि वानिकी के अन्तर्गत रोपित पौधों से समय–समय प्राप्त होने वाले अल्पकालीन लाभ यथा लघु प्रकाष्ठ, ईधन, चारा एवं प्रोत्साहन धनराशि आदि को बैंक में जमा अल्प बचत से होने वाले ब्याज के रूप में एवं पेड़ों की परिपक्वता पर विदोहन से प्राप्त होने वाली आय को बैंक में सावधि जमा से होने वाली एक मुश्त आय के रूप में कृषकों के समक्ष प्रचारित कर कृषकों को कृषि वानिकी की तरफ आकर्षित किया जाये।

6.3 उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार कृषि वानिकी माडल भिन्न–भिन्न और अनेक हो सकते हैं। अतः उक्त माडलों का कुछ कृषकों के यहां प्रदर्शन तथा कालान्तर में उनकी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

6.4 उत्तर प्रदेश के अधिकांश कृषक गरीब हैं। अतः उनकी भूमि कृषि वानिकी के अन्तर्गत सम्मिलित करने के पूर्व उनके साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये व उन्हें उस क्षेत्र में प्रचलित लीज़ रेंट के समतुल्य धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप किश्तों में दे दी जाये व किसान अपनी भूमि पर कृषि कार्य भी करता रहे। समझौता ग्राम पंचायत के माध्यम से लगभग 10–15 वर्ष के लिए हस्ताक्षरित किया जाये। वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि के 25 प्रतिशत का भुगतान समझौता हस्ताक्षरित करते समय ही दे दिया जाये। शेष धनराशि दो समान किश्तों में भुगतान की जायेगी। लीज रेंज के समतुल्य धनराशि का भुगतान पांच वर्ष तक या अधिक जो भी उचित हो, तक किया जा सकता है।

6.5 ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे कृषकों का स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाये, जिससे कृषि वानिकी सहकारी आन्दोलन का रूप ले ले।

6.6 कृषकों की भूमि पर उनकी इच्छानुसार उपयोगी कृषि वानिकी में प्रयुक्त वृक्ष प्रजातियों के रोपण हेतु निम्न विकल्प हो सकते हैं –

6.6.1 किसान स्वयं विभाग की देख–रेख में अपने व्यय पर करे। किसान को अनुबन्ध के अन्तर्गत पौधों की सफलता के अनुसार प्रति पौध प्रोत्साहन धनराशि दे दी जाये।

6.6.2 विभाग स्वयं कृषकों की भूमि पर अपने व्यय से रोपण करे व क्रम संख्या– (iv) के अनुसार प्रतिवर्ष कृषकों की आय में होने वाली कमी की पूर्ति करे ।

6.6.3 वन विभाग की देख–रेख में किसान पौधों का रोपण करे व विभाग कृषकों को पारिश्रमिक का भुगतान करेगा।

6.7 कृषि कार्य के साथ पौध अनुरक्षण तीन से पाँच वर्ष तक किया जाये, जिसमें वन विभाग न्यूनतम दर या निशुल्क मृत पौधों को बदलने हेतु पौध आपूर्ति की जायेगी।

6.8 वन विभाग पौधों की सफलता के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रति पौध प्रथम वर्ष , तृतीय वर्ष एवं पंचम वर्ष में प्रोत्साहन धनराशि कृषकों को प्रदान किया जाये। पाँच वर्ष के पश्चात् जीवित पौधों की गणना कर अनुबन्ध पत्र बनाया जाये, ताकि पौधों के पातन चक्र के अनुसार वांणिज्यिक दृष्टिकोण से परिपक्व होने पर पातन अनुज्ञा की आवश्यकता न रहे।

6.9 कृषकों द्वारा पौधों के परिपक्व होने पर वृक्षों का छपान कर पातन अनुज्ञा रेंज स्तर से ही जारी कर दिया जाये या पातन अनुज्ञा की आवश्यकता न रहे। प्रकाष्ठ के परिवहन हेतु परिवहन शुल्क न्यूनतम या परिवहन शुल्क पूर्णतः माफ किया जाना उचित रहेगा।

6.10 परिपक्वता पर प्रकाष्ठ का विपणन वन निगम द्वारा किये जाने का अनुबन्ध पांचवे वर्ष में हस्ताक्षरित करा लिया जाना उचित होगा, ताकि कृषकों को प्रकाष्ठ के विपणन की कोई समस्या न हो। बिन्दु संख्या–(iv) में दिये गये कृषि वानिकी के विभिन्न विकल्पों के अनुरूप अंतिम उपज में कृषक की भागीदारी निम्न प्रकार होगी–

6.10.1 कृषक को प्रशासनिक व्यय काटकर शत प्रतिशत फसल प्रोत्साहन स्वरूप दे दी जाये।

6.10.2 कृषक को प्रोत्साहन स्वरूप अन्तिम फसल का 50 प्रतिशत भाग दे दिया जाये। शेष पर विभाग का अधिकार हो।

6.10.3 कृषक को प्रोत्साहन स्वरूप अन्तिम फसल का 50 प्रतिशत भाग दे दिया जाये। शेष पर विभाग का अधिकार हो।

6.11 वन विभाग द्वारा वन उपज (प्रकाष्ठ/जलौनी आदि) का न्यूनतम मूल्य (Minimum Support Price) घोषित किया जायेगा। कृषक फसल की भागीदारी के अनुरूप (50 से 75 प्रतिशत) फसल कटने पर वन उपज खुले बाजार में स्वयं बेच सकेगा। वन उपज न बिकने की स्थिति में वन निगम द्वारा शेष वन उपज क्रय कर (Buy Back) लिया जायेगा। इस हेतु वन निगम की सहमति लेना आवश्यक होगा।

6.12 कृषकों को तकनीकी जानकारी के साथ न्यूनतम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता की पौध उपलब्ध करायी जाये। इसके लिए प्रभाग में विकास खण्ड मुख्यालय स्तर पर अथवा कई ग्रामों के मध्य (समूह न्याय पंचायत) कृषि वानिकी पौधशालाऐं स्थापित की जाये, जिसके लिए धन की पृथक से व्यवस्था हो। इन पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता की पौध तैयार की जाये।

6.13 ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि वानिकी में शामिल कृषकों के समूह को प्रत्येक 5 हेक्टेयर पर सिंचाई की सुविधा के लिए निःशुल्क बोरिंग एवं पम्प सेट बोरिंग का प्राविधान रखा जाये। निःशुल्क बोरिंग हेतु सिंचाई विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाये।

6.14 कृषि वानिकी के अन्तर्गत फसल व वृक्षों की आग, कीड़े मकोड़ों के आक्रमण, नील गाय आदि से सुरक्षा हेतु फसल बीमा कराया जाये।

6.15 कृषकों को कृषि वानिकी की तकनीकी जानकारी देने हेतु खण्ड विकास स्तर पर कृषक सेवा केन्द्र स्थापित किया जाये।

6.16 सर्वप्रथम ऐसी निजी भूमि ली जाये जो कम उपजाऊ व ऊसर हो तथा वानिकी कार्य द्वारा उसके सुधार की सम्भावनाऐं हो। उपजाऊ क्षेत्र में कुछ जनपदों में कृषि वानिकी अग्रगामी योजना (Pilot Project) के रूप प्रारम्भ किया जाये।

6.17 कृषकों को कृषि वानिकी अपनाने में एक समस्या यह भी उभर कर आयी है कि रोपित पौधों को नील गायों के आतंक तथा अन्य मवेशियों द्वारा फसल को भारी क्षति पहुंचाई जाती है। अतः कृषि वानिकी क्षेत्र की सुरक्षा/घेरबाड़ हेतु पर्याप्त सरकारी सहायता/अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चत की जायेगी।

7– निजी भूमि पर निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) माडल के अन्तर्गत रोपण

प्रदेश में कई बड़े किसानों और सम्पन्न व्यक्तियों के पास काफी निजी भूमि है जिस पर वे स्वयं खेती नहीं करते हैं या उनकी भूमि खाली पड़ी रहती है, उनसे लम्बी अवधि यथा 30 वर्ष या उससे अधिक का अनुबन्ध कर विभाग/वन निगम द्वारा अपने व्यय पर रोपण कर दिया जाये। फसल कटने पर अंतिम लाभ में भागीदारी विभाग/वन निगम द्वारा तय की जायेगी। इससे वनस्पति आच्छादन में वृद्धि होगी। इस स्वरूप में काफी बड़े खाली भूखण्डों (5 या 5 हेक्टेयर से अधिक) पर पी0पी0पी0 माडल या अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रकाष्ठ आधारित उद्योगों द्वारा Captive Plantation भी स्थापित किये जायेगें।

8– कृषि वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र/मॉडल केन्द्र की स्थापना

प्रत्येक एक लाख कृषि वानिकी क्षेत्र पर एक कृषि वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र/कृषि मॉडल केन्द्र की स्थापना की जाये, परन्तु यह कृषि प्रशिक्षण केन्द्र एक तहसील में एक से अधिक नहीं होगें। इन केन्द्रों की स्थापना में प्रयास यह होगा कि कृषि वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि मॉडल केन्द्र पौधशाला परिसर अथवा उनके सन्निकट ही हों। इन केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य कृषि वानिकी के प्रचार–प्रसार व कृषि वानिकी के विभिन्न मॉडलों के सम्बन्ध में कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रशिक्षण केन्द्र पर कृषि वानिकी के विभिन्न

मॉडलों को प्रदर्शित किया जायेगा तथा कृषकों के प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। रोपित पौधों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त रखने के सम्बन्ध में मूलभूत उपाय एवं महत्वपूर्ण कीटनाशकों के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये।

9– कृषक भ्रमण कार्यक्रम

कृषकों को प्रदेश के अन्दर एवं अन्य प्रदेशों में कृषि वानिकी के अन्दर किये जा रहे कार्यो को मौके पर दिखाने व उन कृषकों को लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रगतिशील कृषकों का भ्रमण कार्यक्रम रखा जायेगा।

10– प्रचार–प्रसार कार्य

कृषि वानिकी को अपनाये जाने व इससे होने वाले आर्थिक लाभ हेतु बृहद् प्रचार–प्रसार के कार्यक्रम ग्राम सभाओं के स्तर पर आयोजित किये जायें । इस हेतु जनपद, तहसील, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाये। इसके अतिरिक्त मीडिया, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट एवं होर्डिंग के माध्यम से भी कृषि वानिकी का बृहद् प्रचार–प्रसार कार्य किया जाये।

11– ढांचागत विकास

कृषि वानिकी के अन्तर्गत पौधों के ढुलान तथा पौधों की सिंचाई के लिये ट्रैक्टर, ट्राली, टैंकर आवश्यकतानुसार क्रय किये जा सकते हैं। साथ ही प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों हेतु कृषकों से सम्पर्क करने के लिये विभागीय स्टाफ को मोटर साईकिल भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाये।

12– कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग

उत्तर प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि वानिकी पर शोध कार्य होते रहते हैं। अतः विभाग को विश्वविद्यालयों से प्राप्त नवीनतम जानकारी को कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालयों एवं कृषकों में सामनजस्य स्थापित कराया जाये।

13– विपणन केन्द्रों की स्थापना

कृषकों को वन उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से इनकी जमीन पर कृषि वानिकी के अन्तर्गत उत्पादित वन उपज के विक्रय हेतु पर्याप्त विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से विपणन केन्द्रों की स्थापना की जाये। इसके अतिरिक्त इन कृषकों को सीधे औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े हुये क्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में उनके सम्पर्क सूत्रों की पर्याप्त जानकारी सीधे उपलब्ध कराया जाना।

14– वित्तीय प्रबन्धन

प्रदेश में कृषि वानिकी को प्रभावी व सफल ढंग से लागू किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष कृषि वानिकी के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार धनराशि का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, जिससे कृषकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि एवं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु व्यय होने वाली अन्य समस्त प्रकार की धनराशि का कुशल प्रबन्धन किया जाना।

15– राज्य कृषि वानिकी नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा

कृषि वानिकी नीति की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के स्तर पर राज्य वन नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु परिकल्पित राज्य वानिकी परिषद द्वारा की जायेगी, जो समय–समय पर कृषि वानिकी नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करके अपना मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इस परिषद के अधीन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जायेगा, जो राज्य कृषि वानिकी नीति के क्रियान्वयन तथा राज्य वानिकी परिषद को सुझाव देने के लिये कार्य करेगी।

16– राज्य कृषि वानिकी नीति 2012 से सम्बन्ध

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 एवं राज्य वन नीति 1998 के प्राविधानों के अधीन रहेगी।

******